श्रीधर सी0 *भा0प्र0से0*, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के साथ दिनांक 21.05.12 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कार्यालय एवं न्यायालय, बगहा का किए गए निरीक्षण का टिप्पणी :–

1.0 परिचय :–

अनुमंडल कार्यालय का सृजन दिनांक 01.12.1972 को हुआ है परंतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के कार्यालय की अलग से स्थापना दिनांक 01.05.1981 से की गयी है।यह अनुमंडल जिला मुख्यालय, बेतिया के उत्तर पश्चिम की दिशा में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। भूमि सुधार कार्यालय बगहा अनुमंडलान्तर्गत :–

राजस्व ग्राम एंव हल्कों की संख्या :–

क्र0 सं0	अंचलों का नाम	राजस्व ग्राम	हल्का
1	2	3	4
1	बगहा– 1	141	12
2	बगहा– 2	179	12
3	रामनगर	159	12
4	ठकराहाँ	13	5
5	भितहाँ	23	5
6	मधुबनी	30	5
7	पिपरासी	3	5
	कुल योगः–	548	56

2.0 भवन :–

निरीक्षण के क्रम में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के इजलास, राजस्व प्रशाखा एवं कक्ष का भ्रमण किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी गयी आवंटन के आलोक में इजलास को सुसज्जित किया गया है और साफ–सुथरा हालत में पाया। कार्यालय में यह देखा गया कि बिजली का बायरिंग काफी पुराना है और कतिपय कमरों में स्विच बोर्ड खराब है। तार टूटा हुआ है। अतः अनुमंडल–सह–भूमि सुधार

कार्यालय का विद्युतीकरण कार्य को नए सिरे से कराने की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में अधियाचना भेजने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि भवन निर्माण विभाग के विद्युत संभाग को अनुमंडल कार्यालय बगहा का नए सिरे से विद्युतीकरण करने की स्वीकृति देने हेतु प्रधान सचिव, उर्जा विभाग को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

3.0 पदाधिकारियों की स्थापना :–

वर्त्तमान में श्री राकेश रमण, दिनांक– 04.05.2010 से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगहा के पद पर पदस्थापित हैं। इनसे पूर्व पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत है:–

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं की सूची :–

क्र0	नाम	कब से	कब तक
1	श्री उमेशचन्द्र ठाकुर	11/12/1973	17/01/1975
2	श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव	18/01/1975	31/03/1977
3	श्री ललितेश मिश्र	1/4/1977	2/11/1980
4	श्री दलित पासवान	3/11/1980	25/04/84
5	श्री एस0एम0 तलहा साजिद (प्रभारी)	26/04/84	15/07/84
6	श्री बैद्यनाथ मिश्र	16/07/84	24/09/87
7	श्री महेश्वर मयराज	25/09/87	10/4/1991
8	श्री राम कैलाश सिंह (प्रभारी)	11/4/1991	1/4/1991
9	श्री सीताराम	12/4/1991	21/04/91
10	श्री शिवदत्त राम (प्रभारी)	22/04/94	23/07/95
11	श्री देवेन्द्र मिश्र	24/07/95	31/07/97
12	श्री अरूण कुमार सिंह (प्रभारी)	1/8/1997	28/06/98
13	श्री हुसैन यूसूफ रिजवी	29/06/98	28/12/99
14	श्री अरूण कुमार सिंह	29/12/99	10/7/2000
15	श्री हरिशंकर झा	11/7/2000	2004
16	श्री डोमन सिंह अनु0सह पदा0 (प्रभारी)		20/07/05
17	श्री कृष्ण मोहन प्रसाद वि0 प्र0 से0	26/06/09	4/5/2010
18	श्री राकेश रामण वि0 प्र0 से0	4/5/2010	

4.0 पूर्व निरीक्षण :–

विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार प्रशाखा का निरीक्षण किया गया है :–

क्र0	निरीक्षी पदा0 का नाम	निरीक्षण की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	आयक्त (तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर)	27/09/1982	06/12/1982
2	समाहर्त्ता (प0 चम्पारण) बेतिया	4/2/1983	20/05/1983
3	अपर समाहर्त्ता , प0 चम्पारण , बेतिया	12/03/1983	1/8/1985
4	अनुमंडल पदा0 , बगहा	30/01/1985	25/04/1985
5	कार्यालय अधीक्षक , बगहा	30/01/1987	23/05/1987
6	अनुमंडल पदा0 , बगहा	04/09/2010	

निरीक्षण की तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर समाहर्त्ता के स्तर पर कार्यालय का निरीक्षण वर्ष 1983 के बाद नहीं किया गया है। कार्यालय अधीक्षक के द्वारा वर्ष 1987 के बाद कोई निरीक्षण नहीं किया गया है। अपर समाहर्त्ता एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि प्रत्येक 6 माह में अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।

5.0 स्थापना :–

इस कार्यालय में स्वीकृत पद बल के विरूद्ध कर्मियों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र0	कर्मचारी की कोटि	स्वीकृत पद बल	पदस्थापित पद बल	रिक्त पद बल	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान लिपिक	1	0	1	
2	लिपिक	6	3	3	31.05.2012 से एक लिपिक सेवानिवृत हो रहे है।
3	आशुलिपिक	1	–	1	
4	आदेशपाल अनुसेवक	4	3	1	

5	**जीप चालक**	1	1	—	अनुमण्डल कार्यालय नरकटियागंज में लगभग 5 वर्षो से प्रतिनियुक्त है। सरकारी वाहन आ जाने से चालक की कमी है। अतः इस आशय का पत्रांकः — 26/प्र0 दिनांकः— 10.04.12 द्वारा समाहर्त्ता महोदय बेतिया, को प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु पत्र भेजा गया है।

वर्तमान में 3 नियमित लिपिक पदस्थापित हैं और एक संविदा के आधार पर सेवानिवृत होने के बाद पुनर्नियोजन के पश्चात् पदस्थापित हैं। एक लिपिक के सेवानिवृत इसी माह में होना है। जिला स्थापना उपसमाहर्ता जून माह में स्थानांतरण करते समय इस कार्यालय में लिपिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को भुगतेय सभी लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि को ही सुनिश्चित करें। साथ ही आवश्यकतानुसार कर्मियों की मांग करें।

बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर एक आई0टी0 सहायक का पद रिक्त है। जिला स्थापना उक्त रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापना सुनिश्चित करें।

कार्यरत तीन लिपिकों से संबंधित जानकारियां :—

क्र0 सं0	नाम	योगदान की तिथि	अभियुक्ति
1	श्री बद्री महतो	25/08/10	प्रधान सहायक का पद खाली रहने के कारण प्रधान सहायक के रूप में कार्य लिया जा रहा है। दिनांक— 31.05.2012 को सेवानिवृत हो रहे है।
2	श्री जवाहर लाल साह	2/1/2011	अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के कार्यालय में नियुक्ति हुई है लेकिन इनसे भूमि सुधार कार्यालय में कार्य लिया जा रहा है।
3	श्री अशोक तिवारी	25/08/11	अनुमंडल पदाधिकारी बगहा द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है।
4	श्री शंभू राउत (नाजीर)	21/09/11	अनुमंडल पदाधिकारी बगहा द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है।

वर्तमान में 3 नियमित लिपिक पदस्थापित हैं और एक संविदा के आधार पर सेवानिवृति के पश्चात् पदस्थापित हैं। एक लिपिक की सेवानिवृति इसी माह में होना है। जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता जून माह में लिपिकों का स्थानांतरण करते समय अधोहस्ताक्षरी को स्मारित करेंगे।

इस कार्यालय में जो कर्मी पदस्थापित हैं एंव एक चालक जो नरकटियागंज अनुमंडल में प्रतिनियुक्त किए गए है उनका भी वेतन भुगतान शीर्ष 2029 भू0 राजस्व से इस कार्यालय द्वारा किया जाता है। श्री जवाहर लाल साह संविदा कर्मी का वेतन अनुमंडल कार्यालय बगहा से दिया जा रहा है। श्री अशोक तिवारी एंव शम्भू राउत समाहरणालय संवर्ग के कर्मी हैं। इसलिए इनका वेतन शीर्ष 2029 से दिया जा रहा है।

6.0 पत्राचार :–

इस कार्यालय में प्राप्त पत्रो के लिए प्रधान एवं अप्रधान अलग–अगल पंजी संधारित है, जिसका वर्षवार आकड़ा निम्न प्रकार है :–

वर्ष	प्रधान	अप्रधान	कुल योग
1	2	3	4
2012	58	486	544

इस कार्यालय में निर्गत पत्रो के लिए प्रधान एवं अप्रधान अलग–अलग पंजी संधारित हैं जिसका ऑकड़ा निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	प्रधान	अप्रधान	कुल योग
1	2	3	4
20 12	38	374	412

7.0 न्यायालयों का मासिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन :–

क्र0	वादों का प्रकार	दिनांक 1.4.12 को लंबित वाद	विगत माह तक दायर वाद	प्रतिवेदित माह में दायर वाद	कुल दायर वाद	विगत माह तक निष्पादित वाद	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वाद	कुल लंबित वाद	माह में न्यायालय दिवस	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	दाखिल खारिज अपील	172	17	0	189	36	2	38	151	0	0
2	भू–हदबन्दी अधिनियम की धारा(16(3))के अन्तर्गत दायर वाद	17	–	1	18	–	3	3	15	–	–

3	बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा(48 ई0)के अन्तर्गत दायर वाद	7	—	—	7	—	—	—	7	—	
4	बन्दोवस्ती अपील	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	जमाबन्दी सुधार	25	0	0	25	0	0	24	1	0	24 अभिलेख अपर समाहर्त्ता, बेतिया को हस्तान्तरित किया गया है।
6	भूदान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली–2009	0	126	6	132	30	0	30	102	—	—

7.1 **बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 ई0 के अंतर्गत दायर वादों की विवरणी निम्नवत् है :–**

केश न0	पक्षकार	अंतिम सुनवाई की तिथि
29/2001–02	मु0 एतराजु बनाम ताहिरा खातुन	22.01.2003 के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है।
1/2004–05	राधाकांत पाण्डेय बनाम उमाकांत शास्त्री	15.05.2012
4/2011–12	बिविन बिहारी बनाम कृष्ण बहादुर सिंह	
1/2011–12	भुलाई चौधरी बनाम उदय कुमार वर्मा	
2/2011–12	रामायण यादव बनाम कृष्ण बहादुर सिंह	
3/2011–12	मैनेजर यादव बनाम कृष्ण बहादुर सिंह	

7.2 **बटाईदारी** :– 48ई0 अंतर्गत बटाईदारी करने वाले व्यक्ति को बेदखल करने का प्रावधान किया गया है। न्यायालय के निरीक्षण से स्पष्ट है कि दोनों वादों में बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। शेष वादों में जो वर्ष 11–12 का है नियमानुसार कार्रवाई कर दो माह के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

7.3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कार्यालय कक्ष के सामने एक कमरे में कार्यपालक दण्डाधिकारी का इजलास अवस्थित है। वर्तमान में कार्यपालक दण्डाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं। इजलास में पुराने अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में 107, 144 एवं 133 से संबंधित पुराने अभिलेख जो वर्ष 2002 से है वर्षवार वर्गीकरण करके रखा हुआ पाया गया। वर्तमान में इन वादों के अभिलेखों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि सभी मामले निष्पादित हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे मामलों की सूची ए0पी0पी0 से प्राप्त करके जिसमे 107 के

मामले अपील में है को छोड़कर शेष मामलों को रेकार्ड रुम में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

7.4 बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम –2009 :–

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में कुल 132 मामलों में से 30 मामले निष्पादित हैं शेष 102 मामले प्रक्रियाधीन है। कुल में 96 वाद वर्ष 11–12 का है। भूमि विवाद निराकरण में कुल 96 वाद 3 माह से अधिक समय से लम्बित है। दायर किये गये वादों में से निष्पादित वादों की संख्या काफी कम है। निष्पादन की प्रगति असंतोषप्रद है। अतः अंचलवार तिथि निर्धारित कर लम्बित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा तीन महीने के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र–1, 2 एवं 3 में अंचलवार प्रतिवेदन तैयार कर नियमित रुप से प्रत्येक माह प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

7.5 भू–हदबन्दी :–

भू–हदबन्दी वाद से संबंधित मूल भू–हदबन्दी वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में लंबित नहीं है। इस अनुमंडल से संबंधित 8 वाद जो बिहार भू–हदबन्दी अधिनियम अंतर्गत है का निष्पादन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निष्पादित किया जाता है। ए.जी.पी. के माध्यम से संबंधित सिविल कोर्ट से भू–हदबन्दी वाद की मूल रेकार्ड को वापस करने हेतु आवेदन जमा कराकर रेकार्ड प्राप्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भू–धारी को अंतिम रुप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एकनॉलेजमेंट के साथ पंजी नोटिस तथा अखबारों के माध्यम से नोटिस निर्गत कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

वाद संख्या–3/2002–03 हरिशंकर पाठक बनाम सरकार के मामले में यह पाया गया कि अनुमंडल न्यायालय में वाद चल रहा है और इसी वाद को अधोहस्ताक्षरी के भी न्यायालय में दाखिल किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को आदेश दिया जाता है कि वे इस वाद से संबंधित सभी अभिलेखों को मंगवाकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित करें।

भू–हदबंदी अभिलेख का अवलोकन किया। खेद की बात है कि अभिलेखों का भौतिक स्थिति अत्यंत ही खराब है। रख–रखाव के अभाव के कारण कतिपय अभिलेख दीमक के द्वारा चट जाने की स्थिति में है। प्रत्येक अभिलेख का अध्ययन किया गया है। अध्ययनोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को तीन महीने के अंदर सभी मामलों का निष्पादन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में यह वाद काउज लिस्ट पर नहीं है।

भू–हदबन्दी से संबंधित पंजी संधारित नहीं है, बताया गया। चूँकि यह अनुमंडल 1972 से स्थापित है। इतना पुराना अनुमंडल होने के कारण यहां पंजी होने की सम्भावना है। कार्यालय में छानबीन कर प्रतिवेदन भेजें।

8

7.6 भू–हदबन्दी अधिनियम की धारा 16 (3) :–

16 (3) अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में 18 वाद दायर है। कुल निष्पादित वाद 3 है। लंबित वादों की संख्या–15 है। निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

8.0 जमीन बन्दोबस्ती :–

क्र॰	अंचल का नाम	कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	वास रहित परिवारों की संख्या	गैरमजरुआ मालिक/खास भूमि से लक्ष्य एवं उपलब्धि		गैरमजरुआ आम भमि से लक्ष्य एवं उपलब्धि		B.P.P.H.T. से लक्ष्य एवं उपलब्धि		भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धि	
				लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बगहा–1	7295	2300	1117	438	692	57	302	275	189	136
2	बगहा–2	7752	802	129	153	0	0	0	15	673	311
3	रामनगर	7682	2079	739	482	453	0	731	742	156	114
4	पिपरासी	956	290	244	64	0	0	46	38	0	0
5	मधुबनी	1432	217	217	50	0	0	0	0	0	0
6	भितहां	1664	441	247	130	136	10	19	9	39	10
7	ठकराहां	1014	110	52	0	0	0	58	0	0	0
	कुल योग :–	27795	6239	2745	1317	1281	67	1156	1079	1057	571

कार्यालय में जमीन बंदोबस्ती से संबंधित पंजी का अवलोकन किया। गैरमजरुआ मालिक पंजी का अवलोकन किया। यह पंजी अलग–अलग अंचल के लिए अलग–अलग पृष्ठ आवंटित है। अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत वर्षो में जो बंदोबस्ती हुई है वह पंजी में अंकित नहीं है। अद्यतन करने का निदेश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचल के बन्दोबस्ती के प्रभारी लिपिकों को उनके अंचल स्तर पर संधारित पंजी के साथ अनुमंडल स्तर पर बैठक आयोजित कर पंजी को अद्यतन करना सुनिश्चित करें। साथ हीं आम एवं मालिक जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित अलग–अलग पंजी संधारित करें। आम जमीन की पंजी में बन्दोबस्ती हेतु निर्गत आयुक्त कार्यालय का आदेश का ज्ञापांक एवं दिनां को अंकित करेंगे।

राज्य सरकार के द्वारा गृह स्थल योजना के अंतर्गत दो प्रकार का आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। एक महादलित परिवारों को आवासीय भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने के लिए दूसरा अन्य सुयोग्य परिवारों को भूमि क्रय कर आवासीय कार्य के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इस निमित उपलब्ध कराये गये आवंटन प्रत्येक अंचल द्वारा की गयी कार्रवाई निम्नांकित प्रपत्र में प्राप्त कर समेमित रुप से उपलब्ध करायेंगे।

करायेंगे।

क्रय नीति के अंतर्गत बंदोबस्त की गयी जमीन का दखल कब्जा की जांच कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया था, अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एक पक्ष के अंदर सत्यापन कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगहा।

9.0 लगान निर्धारण :–

लगान निर्धारण वाद संख्या 44/11–12 लगान निर्धारण वाद के अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद अंचल बगहा–1 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया है। प्रश्नगत जमीन बेलगान प्रतिवेदित है। इसी प्रकार के कतिपय अभिलेख इस न्यायालय में विचाराधीन पाए गए हैं। इस संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कराकर अग्रेत्तर कार्रवाई करें। अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को निदेश दिया जाता है कि हल्का वार वैसे जमीन जो बेलगान/काबिल लगान प्रतिवेदित है को सूचीबद्ध कराकर उसका भौतिक सत्यापन कराकर लगान निर्धारण कराना सुनिश्चित करें।

10. नीलाम पत्र–वादः–

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सह नीलाम पत्र पदाधिकारी, बगहा के न्यायालय में कुल 577 वाद 01.04.12 को लंबित था। अप्रैल 2012 तक कुल 17 मामलों का निष्पादन हुआ है, जिसमें 964360.00 रू0 वसूली हुई है। शेष 560 मामले लंबित है। अभियान चलाकर निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

11. माननीय उच्च न्यायालय :–

(1.) C.W.J.C. No- 15222/08 विजय कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार में शपथ दायर कर जिला को सूचना भेजी जा चुकी है। इसका शपथ न0– 35272 दिनांक– 23/09/10 है।

(2.) राधेश्याम साह बनाम बिहार सरकार C.W.J.C – 2010 में भी शपथ पत्र दायर किया जा चुका है जिसका शपथ न0–39547 दिनांक– 07.01.2011 है।

(3.) सिविल रिविजन वाद स0/2010 अशर्फी साह बनाम बिहार सरकार में बगहा–1 अंचल को बार– बार पत्र भेजा गया है परन्तु अब तक S.F बनाकर अनुमोदन हेतु नहीं प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त तीनों वादों में दो वादों में तथ्य विवरणी तैयार कर प्रेषित किया गया है। शेष वादों की विवरणी अविलम्ब भेजकर ओथ दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

12.0 जनशिकायत :–

मुख्यमंत्री जनता दरबार, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं जिला जनता दरबार से संबंधित अलग–अलग पंजी संधारित है। प्राप्त आवेदन जॉच हेतु अंचलों में भेजा जाता है पुनः जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर A.T.L. के रुप में जिला भेजा जाता है। जनता दरबार के काफी मामले लंबित है। कैम्प आयोजित कर एक माह के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करें। विवरणी निम्नवत् है :–

क्र०	विवरणी	प्राप्त आवेदन	निष्पादित	लम्बित	अभ्युक्ति
1.	मुख्यमंत्री जनता दरबार (सेवा यात्रा सहित)	66	20	46	सभी संबंधित अंचलों को जाँ कर A.T.L. में प्रतिवेदन भेजने हेतु भेजा गया है जो अबतक अप्राप्त है। इस आशय का पंजी संधारित है।
2.	मुख्यमंत्री सचिवालय	0	0	0	
3.	जिला जनता दरबार	38	15	23	सभी संबंधित अंचलों को जाँच प्रतिवेदन हेतु स्मारित किया गया है।

13.0 सैरात :–

सैरात पंजी वर्ष 12–13 से संधारित की गयी है। सभी सैरातों की नियमानुसार बन्दोबस्ती सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

14.0 अंकेक्षण :–

इस कार्यालय का अंकेक्षण वष दिसम्बर, 2009 में वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया गया है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेज दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान किसी तरह की त्रुटि नहीं पायी गयी है।

15.0 नजारत :–

इस कार्यालय के नजारत से केवल वेतन की निकासी एवं भुगतान की जाती है, जो शीर्ष 2029 भू० राजस्व शीर्ष का है :–

<u>सामान्य रोकड़ बही का विवरण दिनांक 20.05.2012 तक</u>

1.	नरैनापुर घाट का अभिश्रव	726
2.	2029 L.R. का अभिश्रव पंजी	62877.12
3.	सहकारी चुनाव की पंजी	2535.25

4	अस्थाई अग्रिम	49920
5	भारतीय स्टेट बैंक	58607.18
6	अभिश्रव में	5903
	नकद राशि	6613.92
	योगः—	187182.47

15.1 सहकारिता चुनाव से संबंधित 2535.25 रू0 दर्शाया गया है। कोषागार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया।

15.2 अस्थायी अग्रिम में 49000 रू0 दर्शाया गया है। किस कैटेगरी का है वर्गीकरण करें। उपलबध राशि के विरूद्ध समायोजन करें। राशि नहीं रहने की स्थिति में राशि की मांग करें। साथ ही प्राप्त आवंटन के आलोक में अभिश्रव का समायोजन सुनिश्चित करें।

16. **प्रधान सहायक नोट बुक :—**

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 117 के अनुसार प्रधान सहायक नोट बुक संधारित नहीं है बताया गया। चूकि इस कार्यालय में प्रधान सहायक का पद रिक्त है। प्रभारी प्रधान सहायक के रुप में वरीय सहायक पदास्थापित हैं जिनसे प्रधान सहायक के कार्यो का सम्पादन कराया जाता है जिनकी पदस्थापना भूमि सुधार कार्यालय में लिपिक पद पर 24.08.2010 को हुई है।

17. **स्टाफ पंजी :—**

इस कार्यालय में स्टॉफ पंजी संधारित है। इस कार्यालय में पदस्थापित (कार्यरत) सभी कोटि के कर्मचारियो के संबंध में विस्तृत सूचना स्टॉफ पंजी में अंकित रहता है। वर्त्तमान पदाधिकारी के समय में नये सिरे से संधारित की गई है ताकि यह पता चल सके कि कौन से सरकारी सेवक कहॉ रहते हैं। कब उन्होने योगदान दिया है। साथ ही उनका मोबाईल नं0 भी अंकित किया गया है।

18. **कर्म पुस्त :—**

इस कार्यालय के लिपिको के नाम से अलग– अलग कर्मपुस्त संधारित है। कर्म पुस्त में लंबित पत्रों का निष्पादन एक माह में पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

19. **आवंटन पंजी :—**

इस कार्यालय में आवंटन पंजी संधारित है एवं अद्यतन है।

20. **उपस्थिति पंजी :–**

उपस्थिति पंजी संधारित नहीं है। उपस्थिति पंजी अनुमंडलीय सामान्य प्रशाखा में, सभी प्रशाखाओं में कार्यरत कर्मी का एक ही प्रशाखा में संधारित उपस्थिति में उपस्थिति अंकित की जाती है जिसे अनुमंडल पदा0 के द्वारा जॉच किया जाता है।

21. **भंडार पंजी :–**

भंडार पंजी संधारित है जिसमें लेखन सामाग्रियॉ अंकित की जाती है। यह पंजी अद्यतन हैं।

22. **अनुक्रमणी पंजी :–**

अनुक्रमणी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है। यह पंजी अद्यतन है।

23. **रक्षी पंजी :–**

इस कार्यालय में रक्षी पंजी संधारित है। इस पंजी को अद्यतन नहीं किया गया हैं। निदेश दिया जाता है कि समय–समय पर जिला एवं राज्य से प्राप्त निर्देश, आदेश, अनुदेश प्राप्त होते है उसे संधारित रक्षी पंजी में रखना सुनिश्चित करें।

24. **नोटिस पंजी :–**

नोटिस पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। न्यायालय से निर्गत नोटिस पंजी में अंकित कर प्रोसेस पदचर को प्राप्त करा दिया जाता है तत्पश्चात् तामिला कराकर तामिला रसीद नोटिस पर अंकित कर नोटिस प्रोसेस पदचर के द्वारा वापस किया जाता है।

25. **संदेशवाहक पंजी :–**

संदेश वाहक पंजी संधारित है जो अद्यतन है।

26 **विपत्र पंजी :–**

विपत्र पंजी संधारित है एवं अद्यतन है।

27. **वेतन भुगतान पंजी :–**

शीर्ष 2029 भू0 राजस्व का वेतन भुगतान पंजी संधारित है एवं अद्यतन है।

28. **अकास्मिक अवकाश पंजी :–**

अकास्मिक अवकाश पंजी अनुमंडल कार्यालय बगहा में संधारित होता है।

29.0 दाखिल–खारिज अपील :–

दाखिल–खारिज अपील वाद के लिए एक पंजी संधारित है जो अद्यतन है। इस पंजी में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील दायर किए जाने पर प्रविष्टि की जाती है। प्रविष्टि अद्यतन है। मात्र 20% वादों के निष्पादन हुए हैं।

30.0 जमाबन्दी सुधार वाद :–

जमाबन्दी सुधार पंजी संधारित है, जो अद्यतन है। कुल 24 मामले अपर समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय में हस्तानान्तरित कर दिया गया है।

31.0 राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न :–

इस कार्यालय में राज्य सभा/लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न लम्बित नहीं है, बताया गया।

32.0 सूचना का अधिकार :–

लोक सूचना पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बगहा के यहाँ कुल – 04 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 03 आवेदन को निष्पादित कर दिया गया है। 01 आवेदन लम्बित है।

33.0 सामान्य :–

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा एक प्रधान सहायक की नियुक्ति, जीप चालक का नरकटियागंज से प्रतिनियुक्ति की समाप्ति, एवं एक पुरुष अनुसेवक की आवश्यकता बतायी गयी।

34.0 निष्कार्ष :–

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में वादों का निष्पादन अत्यन्त धीमी है। गति लाने की आवश्यकता है। राजस्व अभिलेखों के रख–रखाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेशों का अनुपालन निर्धारित समय सीमा के अन्दर कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(श्रीधर सी॰)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 829 /गो0, दिनांक 19/06/2012

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगहा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, प0 चम्पारण, बेतिया/अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/6

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 829/गो0, दिनांक 19/06/2012

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

19/6

(श्रीधर सी०)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

15
19/6